

निजी कौशल महाविद्यालय नीति का प्रारूप विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रकाशित कर दिया गया है । सम्बद्ध संस्थान, आमजन से इस संदर्भ में सुझाव दिनांक 07 अप्रैल 2021 तक विश्वविद्यालय के ई-मेल risujaipur@gmail.com पर आमंत्रित किये जाते है । प्राप्त सुझाव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम एवं राज्य सरकार की नीतियों के अनुरूप होना आवश्यक है ताकि तदनुसार आवश्यकतानुसार संशोधन कर प्रस्ताव राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा सके ।